Mobile No. 7060002410
E-mail: soexamtwo2@gmail.com

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
पो0–गुरूकुल काँगड़ी, हरिद्वार–249404

संख्या – 735/19/E-2/JE/DR/2012-13 **दिनांक : 12 अक्टूबर, 2015**

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या : ए–1/ई–2/2015–16, दिनॉक 07 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित 'संयुक्त कनिष्ठ अभियन्ता चयन परीक्षा–2013' के सापेक्ष आवेदन करने वाले अर्ह अभ्यर्थियों की लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा दिनांक 06, 07 एवं 08 नवम्बर, 2015 (क्रमशः शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार) को निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार हल्द्वानी नगर (जिला नैनीताल) एवं हरिद्वार व रुड़की नगर (जिला हरिद्वार) के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :–

दिनांक	विषय/प्रश्न पत्र	सत्र	समय अवधि
06 नवम्बर, 2015 (शुक्रवार)	सामान्य हिन्दी	प्रथम	पूर्वाह्न 10:00 से मध्याह्न 12:00 बजे तक (02 घण्टा)
	सामान्य अंग्रेजी	द्वितीय	अपराह्न 02:00 से अपराह्न 04:00 बजे तक (02 घण्टा)
07 नवम्बर, 2015 (शनिवार)	सिविल/विद्युत/कृषि अभियंत्रण (प्रथम प्रश्न–पत्र)	प्रथम	पूर्वाह्न 09:00 से मध्याह्न 12:00 बजे तक (03 घण्टा)
	सिविल/विद्युत/ कृषि अभियंत्रण (द्वितीय प्रश्न–पत्र)	द्वितीय	अपराह्न 02:00 से अपराह्न 05:00 बजे तक (03 घण्टा)
08 नवम्बर, 2015 (रविवार)	यांत्रिक अभियंत्रण (प्रथम प्रश्न–पत्र)	प्रथम	पूर्वाह्न 09:00 से अपराह्न 12:00 बजे तक (03 घण्टा)
	यांत्रिक अभियंत्रण (द्वितीय प्रश्न–पत्र)	द्वितीय	अपराह्न 02:00 से अपराह्न 05:00 बजे तक (03 घण्टा)

आयोग द्वारा परीक्षा में सम्मिलित अर्ह अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों के आधार पर औपबन्धिक (Provisional) प्रवेश दिया गया है। अतः अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि (दिनांक 22.04.2015) तक आवेदित पद हेतु, विज्ञापन के अनुसार समस्त अनिवार्य अर्हतायें पूर्ण करते हों। अर्ह अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु **दिनांक 17 अक्टूबर, 2015** से अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा प्रवेश पत्र/अस्वीकृत ज्ञाप प्रेषित नहीं किये जायेंगे। लिखित प्रकृति (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा हेतु अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रसारित की जा रही है।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वे आवेदित पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हतायें धारित न करते हों तो वे परीक्षा में सम्मिलित न हों अन्यथा चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

12.10.2015

(पी0सी0डंडरियाल)
प्रभारी सचिव।